न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 24 / 2023

1 जगदीश प्रसाद पुत्र अर्जुन सिंह आयु 58 साल जाति जाट निवासी ग्राम मांडेला छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 अर्जुन सिंह पुत्र केवला राम
2 टीकूराम पुत्र अर्जुन सिंह
3 पार्वती देवी पुत्री अर्जुन सिंह
4 रामकरण पुत्र अर्जुन सिंह
5 सुमिता देवी पत्नी रामकरण
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मांडेला छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकरर राज.।
6 पटवारी पटवार हल्का नया बास तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
7 तहसीलदार तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
8 उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.
खिलाफ आदेश दिनांक 31.03.2023 उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर जिला सीकर आवेदन अ. धारा 212 राज. काश्त.
अधिनियम नं. 39 / 2022 उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम
अर्जुन सिंह आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राधेश्याम बियाला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफूल सिंह खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 25/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 39/2022 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 151 जा.दि. बाबत भूमि खसरा नम्बर 54/1, 90/4, 355/9, 356/9, 359/9, 360/9 वाके ग्राम माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 24.06.2022 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि आदेश दिनांक 31.03.2023 में यह स्पष्ट अंकित है कि जमाबंदी संख्या 2074 से 2077 का अवलोकन किया। राजस्व अभिलेख में खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से अंकित है तथा नामांतकरण प्रकियाधीन है और उपहार पत्र अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के नाम करवाया है इस प्रकार की अवैधता साबित करने के लिए इतने तथ्य ही पर्याप्त है स्वीकृत रूप से संपदा पैतृक है उसमें खातेदारी अकेले अर्जुन सिंह की न होकर साथ में रामकरण का नाम भी अंकित है ओर दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा अंकित है फिर अप्रार्थी संख्या 2 की तामील भी नहीं हुई उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 3 पार्वती देवी का कब्जा नहीं बताया गया है और टीकूराम के साथ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पार्वती भी अनुपस्थित है ऐसी स्थिति में बंटवारा के वाद में उद्घोषणा के अभाव में किसी का हिस्सा एवं कब्जा मानने का प्रावधान कौन से विधान में है तथा हिस्सा कब्जा आदि सभी साक्ष्य के बिन्दु है जो साक्ष्य पश्चात ही तय होगे आगे लिखा है वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष मूल दावे में गुणावगुण पर मूल दावा में लिये जाने का अधिकारी है परंतु यहां तो इसी आवेदन में ही मूल दावे का फैसला कर दिया गया है उक्त फाइंडिग से मूल वाद में शेष कुछ बचता ही नही है इसी बिन्दु पर आदेश विचारण न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश 39 नियम 4 सीपीसी का प्रावधान सभी तथ्यों को गंभीरता से देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक अति गंभीर प्रकरण में ही पारित किया जाना चाहिये परंतु यहां इस प्रकार में उक्त प्रावधान को अत्यन्त जल्दबाजी में बिना विधिक प्रावधान देखे ही पारित किया गया है जबकि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण मान लिया गया है और इसलिए आदेश विचारण न्यायालय निरस्त होने योग्य है एक बार न्यायिक विवेक से प्रथम दृष्टया प्रकरण मान लने पर बिना समुचित पर्याप्त विधिक कारण के अभाव में स्थगन आदेश वैकेट करना विधि विरूद्ध है। अगर एक बार तर्क के लिए यह मान लिया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 अर्जुन सिंह ने अपने हिस्से का अंतरण किया है परंतु अर्जुन सिंह का जमाबंदी मे तो हिस्सा 1/2 है परंतु वास्तविकता में 1/5 हिस्सा ही बनता है फिर उसका अपने हिस्से में से अंतरण वैलिड कैसे हो सकता है वह भी बिना बंटवारा करवाये बिना रकबा तय किये एं बिना सही अंकन ही खातेदारी के इन तथ्यों से ही आदेश दिनांक 31.03.2023 अवैध साबित हो जाता है। उक्त आदेश दिनांक 31.03.2023 के स्थिर रहने से अंतरण रूकेगे नहीं और मुकदमें बाजी अनावश्यक रूप से बढेगी आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतिम निस्तारण तक अगर स्थगन आदेश कायम रहता है तो इससे किसी भी पक्ष को कोई क्षति होने की लेशमात्र भी संभावना नहीं है जबकि वाद दायरी के दिन तो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा ही निश्चित नहीं है फिर उसके द्वारा किया गया अंतरण विधि सम्मत किस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 1260 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 151 जा.दि. बाबत भूमि खसरा नम्बर 54/1, 90/4, 355/9, 356/9, 359/9, 360/9 वाके ग्राम माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 24.06.2022 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 39 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से किया जाना शेष है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 151 जा.दि. बाबत भूमि खसरा नम्बर 54/1, 90/4, 355/9, 356/9, 359/9, 360/9 वाके ग्राम माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 24.06.2022 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कर दिया।

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की ओर से आदेश 39 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी का आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 की तामील में चल रहा है। समस्त पक्षकारान की तलवी पूर्ण हुये बिना, जवाब प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने के निर्णय को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

धारा 212 के आवेदन में समस्त पक्षकारों की तलबी के उपरांत जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर विधि अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू का निर्धारण कर ही आवेदन का अंतिम निस्तारण किया जा सकता है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि धारा 212 के आवेदन में समस्त पक्षकारों की तलबी के उपरांत जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर विधि अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू का निर्धारण कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर